Introduction of Social Policy

सामाजिक नीति का परिचय

(MSW-3rd Sem. CC-10)

Dr. Hemant Kumar
Ph.D, M.Phil. Psychiatry (SW)
University Guest Faculty (MSW)
Department of Sociology
Patna University, Patna
Email. hemantdev25@rediffmail.com

परिचय

सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित विकास का सहारा लेना आवश्यक समझा गया क्योंकि यह अनुभव किया गया कि गरीबी, बेकारी जैसी अनेक गंभीर सामाजिक समस्यायें उचित विकास न होने के कारण ही हमारे समाज में व्यापक रूप से विद्यमान हं। सामाजिक समस्याओं को और अधिक तेज करना तथा इससे होने वाले लाभों को आम जनता में न्यायपूर्ण ढंग से बाँटना आवश्यक समझा गया और इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी सामाजिक नीति को उचित रूप से निर्धारित कर लागू करें।

समाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है, असंतलुन को रोकती हैं तथा असंतुलन वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का प्रयास करती हैं

परिभाषा

सामाजिक नीति एक साधन है, जिसके माध्यम से आकाँक्षाओं तथा **प्रे**रकों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण की वृद्धि हो सके। सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है जिससे पूर्व सेवायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्धनता दूर होती है। गोखले (1975)

"सामाजिक नीति सामाजिक जीवन के उन पहलुओं के रूप में मानी जाती है जिसकी उतनी अधिक विशेषता ऐसा विनिमय नहीं होता है जिसमें एक पाउण्ड की प्राप्ति उसके बदले में किसी चीज को देते हुये की जाती है जितना कि एक पक्षीय तांतरण जिन्हें प्रस्थिति, वैधता, अस्मिता या समुदाय के नाम पर उचित ठहराया जाता है।" लिंडग (1967)

सामाजिक नीति का उद्देश्य

सामान्य रूप से सामाजिक नीति का उद्देश्य ग्रामीण तथा नगरीय, धनी तथा निर्धन, समाज के सभी वर्गों को अपना जीवन–स्तर ऊँचा उठाने के अवसर प्रदार करना तथा विभिन्न गम्भीर सामाजिक समस्याओं का समुचित निदान करते हुये उनका निराकरण करना है ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।

तारलोक सिंह का मत है, ''सामाजिक नीति का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिये जिनमें प्रत्येक क्षेत्र, नगरीय अथा ग्रामीण तथा अपनी विशिष्ट एवं पहचाने जाने योग्य समस्याओं सहित प्रत्येक समूह अपने को ऊपर उठाने अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने तथा अपनी आवासीय स्थितियों एवं आर्थिक अवसरों को उन्नत बनाने और इस प्रकार समाज सेवाओं के मौलिक अंग बनने में समर्थ हो सके।''

सामाजिक नीति के लक्ष्य एवं कार्य

- वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करना।
- जन सहयोग एवं संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक निर्योग्यताओं को कम करना
- बाधितों को पुनर्स्थापित करना।ए सुधारात्मक तथा सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना।
- शिक्षा–दीक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
- व्यक्तित्व के विकास के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना।
- परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करना।
- उचित कार्य की शर्तों एवं परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना।
- कार्य से होने वाले लाभों का सम्पूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।
- जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना।
- पीड़ित मानवता के दुःखों एवं कष्टों को कम करना।

क्षेत्र

समाजिक नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके कार्यों को समुचित निदेशन देना तथा उन्हें पूरा करना आवश्यक समझा जाता है

सामाजिक कार्यक्रम तथा उनसे सम्बन्धित कार्य :

- निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण तथा उनके
- सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- समाज सुधार के लिए नीति प्रतिपादित करना।
- सामाजिक सुरक्षा के लिये नीति बनाना।
- स्थानीय स्तर पर पूरक कल्याण सेवाओं के विकास के लिए नीति निर्धारित करना।
- सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाना–आय तथा धन के असमान वितरण में कमी लाना, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर रोक लगाना तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।
- समाज सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, आवास इत्यादि की लगातार वृद्धि एवं सुधार करना।

सामाजिक नीति एवं आर्थिक नीति में अन्तर

- विकास सम्बन्धी क्षमता की जाँच – पड़ताल, राष्ट्रीय संसाधनों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक शोध तथा विपणन सम्बन्धी शोध।
- सार्वजनिक तथा निजी एजेन्सियों के माध्यम से उपयुक्त अवस्थापना यथा–जल, विद्युत, परिवहन तथा संचार की व्यवस्था।
- विशेषीकृत प्रशिक्षण सुविधाओं तथा उपयुक्त सामान्य शिक्षा की व्यवस्था ताकि आवश्यक कुशलताओं को सुनिश्चित किया जा सके।
- आर्थिक क्रिया के कानूनी ढाँचे में,विषेश रूप से भूमि सम्बन्धी पट्टों, निगमों तथा यापारिक लेन – देन से सम्बन्धित नियमों में सुधार।
- और अधिक संख्या में तथा और अधिक प्रभावपूर्ण बाजारों का निर्माण जिसके अन्तर्गत बाजारों, विनिमय, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य कई सुविधायें सम्मिलित हैं।
- सम्भावित स्वदेशी और विदेशी उद्यमियों का पता लगाते हुए उनके लिए सहायता का प्रावधान।
- आर्थिक प्रलोभन तथा आर्थिक संसाधनों के दुरूपयोग के विरूद्ध आवश्यक नियंत्रण लगाते हुए उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम ढंग से सदुपयोग किये जाने का प्रोत्साहन।

भारतीय संविधान

संविधान के चौथे खण्ड–राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त में सामाजिक नीति का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है :

अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत यह कहा गया है :

''{(1)} राज्य उतने अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से जितना यह कर सकता है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण के प्रोत्साहन हेतु प्रयास करेगा जिसमें राष्ट्रीय धारा की संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय लाया जायेगा।

{(2)} राज्य विशिष्ट रूप से न केवल विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अथवा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये व्यक्तियों बल्कि लोगों के समूहों में भी आय की असमानताओं को कम करने हेतु प्रयत्न तथा स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं के निवारण हेतु प्रयास करेगा।''

भारतीय संविधान

अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है : ''राज्य विशिष्ट रूप से अपनी नीति को प्राप्त करने हेतु निदेशित करेगा –

क) यह कि नागरिकों, पुरूषों एवं महिलाओं, को समान रूप से समुचित आजीविका के कमाने के साधन का अधिकार प्राप्त हो,

(ख) यह कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि सामान्य निहित की सर्वोत्तम पूर्ति हो सके,

(ग) यह कि अर्थव्यवस्था का संचालन सामान्य अहित हेतु सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण उत्पन्न न करे,

(घ) यह कि पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो,

(ड़) यह कि श्रमिकों, पुरूषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरूपयोग न हो और यह कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता द्वारा अपनी आयु एवं शक्ति के लिए अनुपयुक्त कार्यों को करने के लिए बाध्य न किये जायें,

धन्यवाद